न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 63 / 2021(2021 / 183)

1. गोपाल पुत्र श्री भूरा जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

––प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति धाकड बिलावटिया खेडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
2. किशना पुत्र श्री लादू जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
3. गंगाराम पुत्र श्री देवी जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
4. गोपाल पुत्र श्री देवा जाति धाकड निवासी कुम्हारिया तहसील सरवाड।
5. घनश्याम पुत्र श्री कंवरा जाति धाकड निवासी केसरपुरा तहसील सरवाड।
6. घीसा पुत्र श्री लादू जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
7. छीतर पुत्र श्री देवी जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
8. छोटू पुत्र श्री भूरा जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
9. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासी जूनिया तहसील केकडी।
10. नन्दू पुत्री श्री देवीलाल जाति माली निवासी जूनियां तहसील केकडी।
11. नन्दकिशोर पुत्र श्री रामकिशोर जाति धाकड निवासी कुम्हारिया सरवाड।
12. निजामुद्दीन पुत्र श्री खाजू जाति मुसलमान निवासी जूनिया तहसील केकडी।
13. घीसा पुत्र श्री बजरंग जाति माली निवासी भांसू तहसील टोडारायसिह।
14. बन्नाराम पुत्र श्री लादूलाल जाति धाकड निवासी पालोला तहसील टोडारायसिंह।
15. भंवरलाल पुत्र श्री बालू जाति धाकड निवासी रघुनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक हाल निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
16. मदन कंवर पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासी जूनिया तहसील केकडी।
17. महेन्द्र पुत्र श्री हजारी जाति माली निवासी बस्सी तहसील टोडारायसिंह।
18. महावीर सिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति बडवा निवासी जूनिया तहसील केकडी।
19. रेखा कंवर पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासी जूनिया तहसील केकडी।
20. रतनलाल पुत्र श्री उंकार जाति धाकड निवासी जूनिया तहसील केकडी।
21. राजाराम पुत्र श्री हजारी जाति माली निवासी बस्सी तहसील टोडारायसिंह।
22. रामनिवास पुत्र श्री देवीलाल जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
23. रोडू पुत्र श्री रामेश्वर जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
24. छीतर पुत्र श्री देवी जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
25. गंगाराम पुत्र श्री देवी जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
26. श्रामनिवास पुत्र श्री देवी जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
27. ललाराम पुत्र श्री भूरा जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
28. विनय कुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति जैन निवासी जूनिया तहसील केकडी।
29. विमय कुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति जैन निवासी जूनिया तहसील केकडी।
30. विमल कुमार पुत्र श्री फतेहलाल जाति जैन निवासी जूनिया तहसील केकडी।
31. नरेन्द्र पुत्र श्री फतेहलाल जाति जैन निवासी केकडी तहसील केकडी।
32. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूरा जाति माली निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक।
33. गणेश पुत्र श्री भूरा जति माली निवासी टोडारायसिंह जिला टोंक।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

34. शिवप्रताप पुत्र श्री जोधाराम जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
35. हनुमान पुत्र श्री रामलाल जाति धाकड निवासी बिलावटिया खेडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
36. हेमराज पुत्र श्री रामलाल जाति धाकड निवासी बिलावटिया खेडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
37. हरनाथ पुत्र श्री श्योकिशन जाति धाकड निवासी पीपरोली तहसील सरवाड।
38. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री उम्मेद सिंह राठौड—
2. शिवप्रताप सिंह राठौड — वकील प्रार्थी
3. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा—वकील अप्रार्थीगण
4. श्री मिठू सिंह राठौड—अप्रार्थीगण

—आदेशः—

दिनांक— 13/12/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
532—490	3492	0.93	चाही—1

उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 व 32,33,35 लगायत 37 सह काश्तकार है व खातेदारी में है सभी सह काश्तकार जमावन्दी में वर्णित अपने हिस्सेनुसार मौके पर उपरोक्त आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चले आ रहे है अप्रार्थी संख्या 27 लालाराम पुत्र भूरा ने उपरोक्त आराजीयात में से कुछ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 34 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42ए का उल्ललघन करते हुए बेचान कर दिया है जो कि धारा 42ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से व सह काश्तकारों ने उपरोक्त आराजीयात का विधिनुसार बंटवारा नही होने के कारण विकयपत्र शुरू से शून्य व निष्प्रभावी है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 34 शिवप्रताप पुत्र श्री जोधाराम उपरोक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही कर सकता है व अप्रार्थी संख्या 34 शिवप्रताप ने उपरोक्त आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 28,29,30,31 विमल कुमार, नरेन्द्र कुमार को उस अवैधानिक व एबएनिशियो वोइड एवं प्रभावहीन विकयपत्र के आधार पर दुबारा विकय कर दिया है। अतः यह लोग भी उपरोक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही रखते है व न ही प्राप्त कर सकते है व न रख सकते है इन लोगो का उपरोक्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नहीं है। जमाबंदी में कमांक संख्या 15 में अंकित वदाम का देहान्त हो चुका है व उसका जीवित वारिस उसका पति घीसा बजरंग है व जमावदी में कम संख्या 25 पर अंकित रामेश्वर का भी देहान्त हा चुका है जिसका वारिस उसका पुत्र रोडू पुत्र रामेश्वर है इसी प्रकार कम संख्या 26 रामा देवी का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिस उसके पुत्र छीतर,गंगाराम व रामनिवास है व कम संख्या 32 पर अंकित शांतित देवी का भी देहान्त हो चुका है जिसका वारिस उसका पति गणेश पुत्र भूरा है उपरोक्त आराजीयात के कुछ हिस्सा पर वर्तमान पर पक्की दीवार व सीमेन्द के खम्भे से तारबन्दी हो रखी थी जिनको जबरन

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 28,29,30,31 व 34 ने दिनांक 7.6.2021 व दिनांक 18.6.2021 को नाजायज व बिना किसी अधिकार के नष्ट भ्रष्ट कर दिया है व जबरन उपरोक्त आराजीयात के विशेष भाग जयपुरा केकडी राष्ट्रीयराजमार्ग के लगवा बिना किसी अधिकार व बंटवारे के कब्जा करने की कोशिश कर रहे है व अवैध निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है व सह काश्तकारों अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में दखल देने की वजह से व आराजीयात में अपने हिस्से की आराजीयात का विकास करने के लिए उपरोक्त आराजीयात का सभी सह काश्तकारों में जमाबन्दी में वर्णित हिस्सेनुसार मौके पर बंटवारा किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है व बिना बटवारा जिन सह काश्तकारों ने जबरन उपरोक्त कृषि भूमि पर बिना किसी बंटवारे के व बिना आबादी भूमि में किस्म परिवर्तन के जो अवैध निर्माण व मकान व दुकान बना ली है उन्हे भी हटाया जाना आवश्यक है अतः प्रतिवादीगण स्वयं व उनके रिश्तेदारन को उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 1,8,27,37 की ओर से जवाब पेश किया व अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 व 34 की ओर से जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। **जवाब निम्नानुसार हैः—**

अप्रार्थीगण संख्या 1,8,27,37 की ओर से जवाब निम्नानुसार है—

प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1,2,3,4,5,6 स्वीकार है व प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 7 स्वयं सिद्व करे व शेष प्रार्थना अप्रार्थी उतरकर्तागण ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नही की है अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 व 34 की ओर से जवाब निम्नानुसार है—

प्रार्थनापत्र का पैरा संख्या 1 में वर्णित कथन कतई गलत मिथ्यां एवं मनगढंत होने के कारण उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत यिका है जो काननून चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित कथनों के उत्तर में निवेदन है कि वाद वर्णित आराजीयात का ग्राम जूनिया में स्थित होना स्वीकार है जो रिकार्ड से सिद्व है प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कथनों के उत्तर में निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 27 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 34 को दिनांक 18.9.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 5/11 हिस्सा बेचान कर कब्जा दखल संभलाया जो कानूनन बिल्कुल वेध व सही है तथ प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान भाई सर्व श्री छोटू, लाला, एवं दुर्गालाल ने उक्त वाद वर्णित आराजी में से अधिकतम हिस्सा विभिन्न व्यक्तियों को अलग—अलग विक्रयपत्रों के द्वारा बेचान कर दिया। तथा अप्रार्थीगण संख्या 34 को जो हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 27 द्वारा बेचान किया गया है जो भूमि अप्रार्थीगण संख्या 27 के ही हिस्से की भूमि थी। उसका अंकन प्रार्थी एंव अन्य खातेदारान द्वारा श्री मदनलाल पुत्र श्री गोपीलाल कीर एंव कजोड पुत्र हरजी कीर निवासीगण जूनिया के हक मे दिनांक 6.12.2005 को 1996वर्गफीट भूखण्ड का बेचान किया गया। जिसकी उत्तरी दिशा की ओर अप्रार्थीगण संख्या 27 के भूखण्ड को दर्शाया गया है जिसे ही अप्रार्थीगण संख्या 27 ने अप्रार्थीगण संख्या 34 को बेचान कर कब्जा दखल संभलाया है जो बिल्कुल वेध व सही है तथा प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है अप्रार्थीगण संख्या 27 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 34 को उक्त हिस्सा विक्रय करने मे धारा 42ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के विपरित होने एवं बंटवारा नही होने से शुन्य एवं निष्प्रभावी होने यानि अवैधानिक व एबनिशियो वोइड एवं प्रभावहीन संबंधी कानून सर्वथा मिथ्या एवं मनगढंत होने के कारण उक्त प्रार्थनापत्र कानून चलने योग्य नही है तथा अप्रार्थीगण संख्या 34 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 के हक में करवाया गया विक्रयपत्र बिल्कुल वैध एंव सही है तथा अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 अपने खरीदशुदा हिस्से पर बहैसियत स्वामी काबिज चले आ रहे है तथा सद्भाविक केता है तथा प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान सर्व श्री लालाराम, दुर्गालाल, छोटू पिसरान भूरा लाल माली निवासीगण जूनियां द्वारा पूर्व में ही उक्त सम्पूर्ण आराजी मे से अधिकतम हिस्से को अन्य व्यक्तियों को बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र कर कब्जा दखल

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

संभला दिया है एंव जिन पर मकानात व दुकानात निर्मित हो चुकी है केवल मात्र उक्त आराजी कागजो मे कृषि भूमि अंकित हे लेकिन मौके पर उक्त आराजी के अधिकतम क्षेत्र पर सैकडो व्यक्तियों एवं प्रार्थी तथा अन्य खातेदारान के मकानात व दुकानात बनी हुयी। यानि सघन आबादी बस चूकी है अत प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र कानूनन चलने योग्य नही होकर खाजिर योग्य है प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 5 में वर्णित कथन कतई गलत मिथ्या एवं मनगंढत होने के कारण दृढता के साथ अस्वीकार व अमान्य है अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 व 34 द्वारा दिनांक 7.6.2021 एवं दिनांक 18.6.2021 को प्रार्थी की किसी तथाकथित चारदीवारी पक्की दीवार एवं सिमेन्ट के खम्भे को नष्ट भ्रष्ट करने एवं अवैध निर्माण करवाने की धमकी संबंधी तमाम आरोप सर्वथा मिथ्या वेग एवं मनगंढत होने के कारण दृढता के साथ अस्वीकार व अमान्य है अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 एंव अप्रार्थीगण संख्या 34 का उक्त खरीदशुदा भूमि पर खरीद दिनांक से ही निर्बाध रूप से कब्जा उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान सर्व श्री लाला, छोटू, दुर्गालाल पिसरान भूरा लाल माली द्वारा उक्त वाद वर्णित आराजी का मौके पर बंटवारा करते हुए पूर्व में निम्न व्यक्तियों को बेचान किया जा चूका है वं प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान ने मिलकर अन्य समस्त सद्भावितक खरीदरान को धोखा देने की नियत से योजनावद्व तरीके से पूर्व में बंटवारे के अनुसार विक्रय किये जाने के बावजूद उक्त प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है। 1. प्रार्थी गोपाल द्वारा 3494 रकबा 0.93 में से अपने हिस्से में से महेन्द्र, राजाराज पिसरान हजारी माली निवासी बस्सी तहसील टोडारायसिंह को दिनांक 14.3.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया। जिस पर वर्तमान में मकान व दुकानात निर्मित है। 2. प्रार्थी ने खसरा नंबर 3492 रकबा 0.93हैक्टर में 1/12 हिस्से में से 1/6 हिस्सा यानि कुल रकवा का 1/72 हिस्सा श्री नीजामुद्दीन पुत्र श्री खवाज मोहम्मद उर्फ खाजू खा पिनारा निवासी जूनिया को दिनांक 11.7.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया। जिस पर वर्तमान में मकान व दुकानात निर्मित है।3. प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान सर्व श्री छोटू, लाला एवं दुर्गालाल ने खसरा संख्या 3492 रकबा 0.93हैक्टर में से 1996वर्गफीट भूखण्ड को श्री मदनलाल कीर एवं कजोड कीर व सत्यनारायण पुत्र श्री लादू जांगिड एवं राजकुमार पुत्र श्री शांति लाल जैन निवासी जूनियां को दिनांक 6.12.2005 को जरिय रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर कब्जो दखल संभलाया। जिस पर वर्तमान में मकान निर्मित है एवं उक्त रजिस्ट्री में उक्त भूखण्ड की सीमाए भी अंकित है। 1. प्रार्थी गोपाल के भाई अन्य खातेदार छोटू द्वारा विक्रय किये गये। 2. प्रार्थी गोपाल के भाई अन्य खातेदार लाला द्वारा विक्रय किये गये। 3. प्रार्थी गोपाल के भाई अन्य खातेदार दुर्गालाल द्वारा विक्रय किये गये। 4. प्रार्थी गोपाल के चचेरे भाई अन्य खातेदार किशनलाल द्वारा विक्रय किये गये व्यक्तियों। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 में वर्णित कथन कतई गलत मिथ्या एवं मनगढंत होने के कारण कानूनन स्वीकार किये जाने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 व अप्रार्थीगण संख्या 34 ने खातेदार श्री लाला पुत्र भूरा माली निवासी जूनियां को पूर्ण विक्रयमुल्य अदा कर उसके हिस्से में आयी आराजी जो कि मदन कीर एंव कजोड कीर निवासीगण जूनिया के लगवा उत्तरी ओर स्थित हिस्से को खरीदरकर कब्जा दखल प्राप्त किया है एवं खरीद दिनांक 18.9.2017 से ही बहैसियत स्वामी व मालिक खातेदार दर्ज व काबिज चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है प्रार्थी ने स्वयं अपनी मर्जी से विभिन्न व्यक्तियों को उक्त वाद वर्णित आराजी में उसके हिस्से में आयी भूमि को अलग–अलग विक्रयपत्रों के द्वारा करीबन 16–'17 वर्षो पूर्व ही बेचान कर कब्जा दखल संभला दिया। एवं उक्त खरीददारान ने उक्त भूखण्डों एंव भूमि पर मकानात एंव दुकाने निर्मित कर ली। जिसका अंकन राजस्व रिकोर्ड में भी है तथा प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 एंव अप्रार्थीगण संख्या 34 के विरूद्व कतई गलत मिथ्या एवं निराधारा आरोपो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई छोटू ने उक्त वाद वर्णित आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

के समक्ष उक्त प्रार्थनापत्र एवं प्रार्थनाप. के अलावा छोटू बनाम विनय कुमार वगैरह प्रार्थनापत्र व प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी एवं श्री छोटू का प्रार्थनापत्र में अंकित अनुसार हिस्सा ही शेष नही रहा है। क्योंकि प्रार्थी एवं छोटू द्वारा कई व्यक्तियों को उक्त वादवर्णित आराजीयात में से हिस्से के अनुसार विक्रयपत्र पंजीबद्व नही करवाकर भूखण्डो में विक्रयपत्र पंजीबद्व करवाये है जिनका राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन नही हो सका। इसलिए प्रार्थी एवं उसके अन्य सहखातेदारान भाइ मिलीभगती कर शडयंत्र पूर्वक जमीनो की कीमते बढ जाने के कारण सद्भाविक केताओ के साथ धोखाधडी कारित करते हुए माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छीपाते हुए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो काननून चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है अप्रार्थीगण संख्या 34 ने पूर्व खातेदार श्री लाला पुत्र भूरा माली निवासी जूनिया से पूर्ण विक्रय मुल्य अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया एवं खरीद दिनांक 18.8.2017 से ही बहेसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त व उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 34 से अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 ने पूर्ण विक्रयपत्र अदा कर 4/111 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया एवं बहेसियत खातेदार एंव मालिक काबिज व उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छीपाते हुए कतई गलत एंव निराधार आरोपो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है। उक्त वाद वर्णित आराजी की प्रकृति मौके पर बदल जाने के कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। प्रार्थी अपने स्व्यं के हिस्से में से एवं अन्य सहखातेदारान भाईयों के साथ मिलकर पूर्व में ही उक्त आराजीयात के हिस्से के बेचान कर चूके है इसलिए प्रार्थी स्टोपल के सिद्वान्त एंव विबन्ध के सिद्वान्तों के अनुसार बंधीत होने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 व 32,33,35 लगायत 37 सह काश्तकार है व खातेदारी में है सभी सह काश्तकार जमाबन्दी में वर्णित अपने हिस्सेनुसार मौके पर उपरोक्त आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चले आ रहे है अप्रार्थी संख्या 27 लालाराम पुत्र भूरा ने उपरोक्त आराजीयात में से कुछ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 34 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42ए का उल्ललघन करते हुए बेचान कर दिया है जो कि धारा 42ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से व सह काश्तकारों ने उपरोक्त आराजीयात का विधिनुसार बंटवारा नही होने के कारण विक्रयपत्र शुरू से शून्य है उपरोक्त आराजीयात के कुछ हिस्सा पर वर्तमान पर पक्की दीवार व सीमेन्द के खम्भे से तारबन्दी हो रखी थी जिनको जबरन अप्रार्थी संख्या 28,29,30,31 व 34 ने दिनांक 7.6.2021 व दिनांक 18.6.2021 को नाजायज व बिना किसी अधिकार के नष्ट भ्रष्ट कर दिया है अवैध निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है व सह काश्तकारों अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में दखल देने की वजह से व आराजीयात में अपने हिस्से की आराजीयात का विकास करने के लिए उपरोक्त आराजीयात का सभी सह काश्तकारों में जमाबन्दी में वर्णित हिस्सेनुसार मौके पर बंटवारा किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है व बिना बटवारा जिन सह काश्तकारों ने जबरन उपरोक्त कृषि भूमि पर बिना किसी बंटवारे के व बिना आबादी भूमि में किस्म परिवर्तन के जो अवैध निर्माण व मकान व दुकान बना ली है उन्हे भी हटाया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण स्वयं व उनके रिश्तेदारन को उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1. रामदास बनाम सीताबाई वगै, सिविल अपील संख्या 6508/2005 माननीय उच्चतम न्यायालय, 2. सुन्दरलाल बनाम शंकरलाल, आर.आर.डी. 1973 पृष्ठ संख्या 188—189, 3. भूरसिंह बनाम

उपखण्ड अधिकारी
ब्यावर (अजमेर)

के समक्ष उक्त प्रार्थनापत्र एवं प्रार्थनाप. के अलावा छोटू बनाम विनय कुमार वगैरह प्रार्थनापत्र व प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी एवं श्री छोटू का प्रार्थनापत्र में अंकित अनुसार हिस्सा ही शेष नही रहा है। क्योंकि प्रार्थी एवं छोटू द्वारा कई व्यक्तियों को उक्त वादवर्णित आराजीयात में से हिस्से के अनुसार विक्रयपत्र पंजीबद्व नही करवाकर भूखण्डो में विक्रयपत्र पंजीबद्व करवाये है जिनका राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन नही हो सका। इसलिए प्रार्थी एवं उसके अन्य सहखातेदारान भाइ मिलीभगती कर शडयंत्र पूर्वक जमीनो की कीमते बढ जाने के कारण सद्भाविक केताओ के साथ धोखाधडी कारित करते हुए माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छीपाते हुए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो काननून चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है अप्रार्थीगण संख्या 34 ने पूर्व खातेदार श्री लाला पुत्र भूरा माली निवासी जूनिया से पूर्ण विक्रय मुल्य अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया एवं खरीद दिनांक 18.8.2017 से ही बहेसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त व उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 34 से अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 ने पूर्ण विक्रयपत्र अदा कर 4/111 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया एवं बहैसियत खातेदार एंव मालिक काबिज व उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छीपाते हुए कतई गलत एंव निराधार आरोपो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है। उक्त वाद वर्णित आराजी की प्रकृति मौके पर बदल जाने के कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। प्रार्थी अपने स्व्यं के हिस्से में से एवं अन्य सहखातेदारान भाईयों के साथ मिलकर पूर्व में ही उक्त आराजीयात के हिस्से के बेचान कर चूके है इसलिए प्रार्थी स्टोपल के सिद्वान्त एंव विबन्ध के सिद्वान्तों के अनुसार वंधीत होने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 व 32,33,35 लगायत 37 सह काश्तकार है व खातेदारी में है सभी सह काश्तकार जमाबन्दी में वर्णित अपने हिस्सेनुसार मौके पर उपरोक्त आराजीयात के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चले आ रहे है अप्रार्थी संख्या 27 लालाराम पुत्र भूरा ने उपरोक्त आराजीयात में से कुछ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 34 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42ए का उल्ललघन करते हुए बेचान कर दिया है जो कि धारा 42ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से व सह काश्तकारों ने उपरोक्त आराजीयात का विधिनुसार बंटवारा नही होने के कारण विक्रयपत्र शुरू से शून्य है उपरोक्त आराजीयात के कुछ हिस्सा पर वर्तमान पर पक्की दीवार व सीमेन्द के खम्भे से तारबन्दी हो रखी थी जिनको जबरन अप्रार्थी संख्या 28,29,30,31 व 34 ने दिनांक 7.6.2021 व दिनांक 18.6.2021 को नाजायज व बिना किसी अधिकार के नष्ट भ्रष्ट कर दिया है अवैध निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है व सह काश्तकारों अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में दखल देने की वजह से व आराजीयात में अपने हिस्से की आराजीयात का विकास करने के लिए उपरोक्त आराजीयात का सभी सह काश्तकारों में जमाबन्दी में वर्णित हिस्सेनुसार मौके पर बंटवारा किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है व बिना बटवारा जिन सह काश्तकारों ने जबरन उपरोक्त कृषि भूमि पर बिना किसी बंटवारे के व बिना आबादी भूमि में किस्म परिवर्तन के जो अवैध निर्माण व मकान व दुकान बना ली है उन्हे भी हटाया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण स्वयं व उनके रिश्तेदारन को उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1. रामदास बनाम सीताबाई वगै, सिविल अपील संख्या 6508/2005 माननीय उच्चतम न्यायालय, 2. सुन्दरलाल बनाम शंकरलाल, आर.आर.डी. 1973 पृष्ठ संख्या 188–189, 3. भूरसिंह बनाम

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

अमरसिंह आर.आर.डी. 1981 पृष्ठ संख्या 639—640, 4. रामनारायण बनाम मुरलीधर, आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ संख्या 370—373 प्रस्तुत किये।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस में प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष समर्थन में बताया कि

प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान भाई सर्व श्री छोटू, लाला, एवं दुर्गालाल ने उक्त वाद वर्णित आराजी में से अधिकतम हिस्सा विभिन्न व्यक्तियों को अलग—अलग विक्रयपत्रों के द्वारा बेचान कर दिया। तथा अप्रार्थीगण संख्या 34 को जो हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 27 द्वारा बेचान किया गया है जो भूमि अप्रार्थीगण संख्या 27 के ही हिस्से की भूमि थी। उसका अंकन प्रार्थी एंव अन्य खातेदारान द्वारा श्री मदनलाल पुत्र श्री गोपीलाल कीर एंव कजोड पुत्र हरजी कीर निवासीगण जूनिया के हक मे दिनांक 6.12.2005 को 1996वर्गफीट भूखण्ड का बेचान किया गया।प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान सर्व श्री लालाराम, दुर्गालाल, छोटू पिसरान भूरा लाल माली निवासीगण जूनियां द्वारा पूर्व में ही उक्त सम्पूर्ण आराजी मे से अधिकतम हिस्से को अन्य व्यक्तियों को बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र कर कब्जा दखल संभला दिया है जिन पर मकानात व दुकानात निर्मित हो चुकी है केवल मात्र उक्त आराजी कागजो मे कृषि भूमि अंकित है लेकिन मौके पर उक्त आराजी के अधिकतम क्षेत्र पर सैकडो व्यक्तियों एवं प्रार्थी तथा अन्य खातेदारान के मकानात व दुकानात बनी हुयी। यानि सघन आबादी बस चूकी है अप्रार्थीगण संख्या 28 लगायत 31 एंव अप्रार्थीगण संख्या 34 का उक्त खरीदशुदा भूमि पर खरीद दिनांक से ही निर्बाध रूप से कब्जा उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान सर्व श्री लाला, छोटू, दुर्गालाल पिसरान भूरा लाल माली द्वारा उक्त वाद वर्णित आराजी का मौके पर वंटवारा करते हुए पूर्व में ही निम्न व्यक्तियों को बेचान किया जा चूका है वं प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान ने मिलकर अन्य समस्त सद्भावितक खरीदरान को धोखा देने की नियत से योजनाबद्व तरीके से पूर्व में बंटवारे के अनुसार विक्रय किये जाने के बावजूद उक्त प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है बेचान किये गये विक्रय पत्र पेश किये है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की सहसम्मान बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की वहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है विधिसम्मत नही कहा जा सकता है। प्रार्थिगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)